न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— रामसुख गुर्जर,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2012 (2012/00058)

प्रार्थी

मंदीर मूर्ति रघुनाथ जी महाराज वोक ग्राम चितावा नाबालिग मंदिर मूर्ति जरीये वाद मित्र

1. दातार सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति राजपूत उम्र 40 वर्ष निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।
2. भैरूसिंह पुत्र अमानसिंह जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।
3. जगमाल सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र 58 वर्ष निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।
4. भंवरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।
5. चैनसिंह पुत्र लूणसिंह जाति राजपूत उम्र 65 वर्ष निवासी चितावा तहसील कुचामनसिंटी जिला नागौर, राजस्थान।
6. बन्ने सिंह पुत्र सोलसिंह जाति राजपूत उम्र 65 वर्ष निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।
7. भंवरसिंह पुत्र बजरंग सिंह जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।
8. जब्बरसिंह पुत्र मांगुसिंह जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।
9. पदमसिंह पुत्र अमर सिंह जाति राजपूत उम्र 65 वर्ष निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर, राजस्थान।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. महावीर दास पुत्र मोहनदास जाति स्वामी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. ओमप्रकाश पुत्र महावीर दास जाति स्वामी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
3. बबित कुमार पुत्र महावीर दास जाति स्वामी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
4. रामेश्वर पुत्र रेखाराम जाति रेगर निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
5. रेखाराम पुत्र पेफाराम बिजारणिया जाति जाट निवासी नगवाड़ा तहसील नावां जिला नागौर राजस्थान
6. उप पंजीयक, कुचामनसिटी
7. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री पुष्पेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।

श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5

निर्णय

दिनॉक :–

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के संबंध में न्यायलय में वाद विचाराधीन है। ग्राम चितावा में मंदीर मूर्ति रधुनाथ जी महाराज के खातेदारी अधिकारों व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नं0 580, 586, 870,1006 ता 1012,1016 ता 1019, 1034, 1037, 1038, 1039, 1073, 1074, 1075, 1200/535,1278/1009 कुल रकबा 34.56 है0 है अप्रार्थी सं0 1 महावीर दास मंदीर मूर्ति रधुनाथ जी महाराज के पुजारी है, लेकिन अब मंदीर मूर्ति रधुनाथ जी महाराज के हितो के विपरीत कार्य कर रहा है। चुपके चुपके खसरा नं0 1019 की कृषि भूमि में से भू माफियों को भूखण्ड जरीये इकरारनामा बेच रहा है तथा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करवा रहा है। अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 4 को भी खसरा नं0 1019 की कृषि भूमि में एक भूखण्ड का बेचान इकरारनामा से कर दिया। अप्रार्थी सं0 4 कब्जा व कच्चा पक्का निर्माण करने की फिराक में है। अप्रार्थी मंदीर मूर्ति रधुनाथ जी महाराज की खातेदारी जमीन के खसरा नं0 580, 586, 870,1006 ता 1012,1016 ता 1019, 1034, 1037, 1038, 1039, 1073, 1074, 1075, 1200/535,1278/1009 में इकरारनामे व अन्य रूप से स्थानान्तरण करने में कामयाब हो गये तो मंदीर मूर्ति रधुनाथ जी महाराज को अपूर्णनिय क्षति होगी व भारी असुविधा होगी जिसकी क्षतिपूर्ति निकट भविष्य में किसी भी प्रकार से होना संभंव नहीं होगा इसलिये प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्तिनीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बसुबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र में ग्राम चितावा में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 1007, 1016, 1019, 1034, 1037, 1038, 1039 मंदीर मूर्ति रधुनाथ जी महाराज के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकारों की है इसलिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को पाबंद फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण 1 ता 5 की ओर से वकील श्री राजेश गुर्जर का वकालतनामा पेश किया शामिल मिसल है। अप्रार्थी सं 6,7 बावजूद नोटिस तामिल के गैरहाजीर होने पर इकतरफा की हुई है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जबाब पेश नहीं करने पर दिनांक 22.02.2018 को जबाब बंद किया हुआ है। वकुलाय ने बहस सुनाते हुए वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया की प्रार्थना पत्र में दिनांक 04.09.2012 को पुख्ता फरमाने के आदेश फरमावें। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को नकारते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का कथन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रार्थना पत्र में दिनांक 04.09.2012 को इकतरफा सुनवाई कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अप्रार्थीगण की सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये हुए

उपखण्ड अधिकारी

है। अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 की ओर से वकील श्री राजेश गुर्जर का वकालतनामा शामिल मिसल है जिन्होने जबाब पेश नहीं करने पर जबाब बंद किया हुआ है। वकुलाय की बहस एवं प्रार्थना पत्र में संलग्न खतौनी सम्वत 2066 से 2069 एवं अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 04.09.2012 का व प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वकुलाय की बहस का मनन करने पर न्यायालय इस निष्र्कष पर पहुचा है कि उक्त आराजी मंदीर मूर्ति रधुनाथ जी महाराज के नाम खातेदारी दर्ज है तथा मंदीर अपनी भूमि की हिफाजत नहीं कर सकते है मंदीर अमुख एवं नाबालिक होने से उक्त आराजी की हिफाजत करना आम नागरिक की जिम्मेदारी है । अगर उक्त जमीन हो खुर्द फुर्द किया जाता है या अवैध बेचान, हस्तानान्तरण, अतिक्रमण किया जाता है तो कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर निम्न प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम चितावा के खसरा नं0 1007, 1016, 1019, 1034, 1037, 1038, 1039 के संबंध में प्रार्थना पत्र में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04.09.2012 को ताफैसला वाद पुख्ता किया जाता है। तहसीलदार कुचामनसिटी राज्य सरकार की ओर से भूमिधारी होने पर निर्देशित किया जाता है की उक्त मंदीर मूर्ति रधुनाथ जी महाराज की खातेदारी में नाजायज अतिक्रमण किया गया है तो नियमानुसार कार्यवाही करे। आदेश की फोटोप्रति तहसीलदार कुचामनसिटी को भिजवाई जावें। मिसल नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनॉक 19/04/2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)